



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2009/पौष 8, 1931

No. 732]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2009/PAUSA 8, 1931

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2009

New Delhi, the 29th December, 2009

सा.का.नि. 929(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ); तारीख 27 जून, 2006 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, राजस्व विभाग, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

G.S.R. 929(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 namely :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

In the said notification, after serial number (9) and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely :—

- “(10) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण;
- (11) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय; और
- (12) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।”

- “(10) National Investigation Agency;
- (11) Serious Fraud Investigation Office; and
- (12) Central Economic Intelligence Bureau.”

[अधि. सं. 16/फा. सं. पी-12011/2/2009-ईएस]

[Noti. No. 16/F. No. P-12011/2/2009-ES]

एस. जी. पी. वर्गीस, अवर सचिव

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006.